

प्रेषक,

संस्था शिक्षा
विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

सेवा में,

शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

शिक्षा १७१ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 31 मई 2003

विषय:-

श्री मारेन पब्लिक स्कूल आरबीआरके 11 वीरगंज, बाराबंका, कन्नौज जिले की सी०प्र०मा० विद्यालयों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिव्ये जाने विषय में।

महोदय,

उपरोक्त विद्यालय की ओर आगत ध्यान आकृष्ट करते हुए
श्री मारेन पब्लिक स्कूल आरबीआरके 11 वीरगंज, बाराबंका, कन्नौज जिले की सी०प्र०मा० विद्यालयों के

संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिव्ये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का सफ़्य-सफ़्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद् द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्क से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनानी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त
अपरासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य
सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे
संस्था उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि
किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया
जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या विधिलत बरती जा रही
है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनिवार्य प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। संतोष सिंह ।
सहायक सचिव ।

पू०सं०- 6337

111/15-7-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~लखनऊ~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~लखनऊ~~ ।
- 4- निरीक्षक अंग्रेजी भारतीय विद्यालय 30प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~विद्यालय संयुक्त रूप से आरक्षण के योग्य, लखनऊ, लखनऊ ।~~
- 6- गार्ड बुक ।

अ. ज. सं.
। अशोक चन्द्र गुप्त ।
सहायक सचिव ।